

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),  
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक-20/03/2025

विषय:- राज्य योजनान्तर्गत सरकारी दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत कुल प्राक्कलित राशि रु० 4,04,14,00,000/- (रुपये चार अरब चार करोड़ चौदह लाख) मात्र की योजना में उपकरणों की आपूर्ति हेतु निगम के माँग के अनुरूप राशि (4,04,14,00,000+25,22,62,000) = 4,29,36,62,000/- (रुपये चार अरब उनतीस करोड़ छत्तीस लाख बासठ हजार) मात्र के प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध पुनः अन्य कार्य में अपेक्षित वृद्धि हेतु रु० 5,97,78,13,000/- (रुपये पाँच अरब सन्तानवे करोड़ अठहत्तर लाख तेरह हजार) मात्र की लागत पर स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-XII (Second Part)" के तहत इस परियोजना हेतु राशि रु० 1,00,00,00,000/- (रुपये एक अरब) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत सरकारी दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा के भवन निर्माण हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक-F.No.44(1)/PF-S/2021-25(CAPEX)-Bihar, दिनांक-12.12.2024, एवं F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Part-XII-SACI-32, दिनांक 12.12.2024 तथा वित्त विभाग के पत्रांक--739/वि० दिनांक-13.12.2024 के द्वारा निर्माण का कार्य करने हेतु पूर्व स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-XII (Second Part)" के तहत स्वास्थ्य विभाग को इस परियोजना हेतु कुल रु० 194.00 करोड़ मात्र राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है। विभागीय राज्यादेश सख्या-367(7), दिनांक-20.01.2025 द्वारा उक्त स्वीकृत राशि (194.00 करोड़) के विरुद्ध रु० 34.75 करोड़ के व्यय की स्वीकृति दी जा चुकी है। शेष राशि के भुगतान हेतु तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से इस परियोजना हेतु रु० 100.00 करोड़ मात्र की राशि प्राप्त हुई है।

2 वित्तीय वर्ष 2018-19 अन्तर्गत सरकारी दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत कुल प्राक्कलित राशि रु० 4,04,14,00,000/- (रुपये चार अरब चार करोड़ चौदह लाख) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सख्या-53(1), दिनांक 29.01.2014 के द्वारा प्रदान की गयी थी। निगम (BMSICL) के पत्रांक 8062, दिनांक 22.12.2023 के द्वारा चिकित्साकीय उपकरणों के अधिष्ठापन हेतु रु० 25,22,62,000/- मात्र के माँग के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश सख्या-458(7), दिनांक 30.01.2024 द्वारा योजना को पुनरीक्षित करते हुए (4,04,14,00,000+25,22,62,000) 4,29,36,62,000/- (रुपये चार अरब उनतीस करोड़ छत्तीस लाख बासठ हजार) मात्र के प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।

पुनः योजना के Scope of Work में परिवर्तन के कारण पुनः बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से कुल रु० 5,97,78,13,000/- (रुपये पाँच अरब सन्तानवे करोड़ अठहत्तर लाख तेरह हजार) मात्र का पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पत्रांक-2407, दिनांक-21.06.2024 एवं पत्रांक-4300, दिनांक 16.08.2024 द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसके व्यय की धटगोतर प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश सख्या 226(7), दिनांक 21.10.2024 द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

✓

3- अबतक उक्त योजना में विभिन्न व्ययादेशों के माध्यम से निगम को राशि उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है--

| क्र०स०   | वित्तीय वर्ष | राशि (रु० में)    | आवंटनादेश/व्ययादेश स० एवं दिनांक                        |
|----------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 1        | 2015-16      | 5,00,00,000 /-    | स०-31(1)ब०, दिनांक-10.06.2015                           |
| 2        | 2018-19      | 25,00,00,000 /-   | स०-91(1)ब०, दिनांक-08.01.2019                           |
| 3        | 2019-20      | 37,09,41,000 /-   | स०-82(1), दिनांक-20.01.2020                             |
| 4        | 2020-21      | 16,50,00,000 /-   | स०-38(1), दिनांक-15.01.2021                             |
| 5        | 2021-22      | 16,50,00,000 /-   | स०-410(1), दिनांक-16.06.2021                            |
| 6        | 2021-22      | 16,00,00,000 /-   | स०-315(7), दिनांक-09.02.2022                            |
| 7        | 2022-23      | 13,20,00,000 /-   | स०-52(7), दिनांक-06.06.2022                             |
| 8        | 2022-23      | 26,80,00,000 /-   | स०-111(7), दिनांक-12.07.2022                            |
| 9        | 2022-23      | 1,55,00,00,000 /- | स०-289(7), दिनांक-24.11.2022                            |
| 10       | 2022-23      | 60,00,00,000 /-   | स०-592(7), दिनांक-21.03.2023                            |
| 11       | 2023-24      | 10,00,00,000 /-   | स०-458(7), दिनांक-30.01.2024<br>(चिकित्सकीय उपकरण हेतु) |
| 12       | 2023-24      | 15,00,00,000 /-   | स०-596(7), दिनांक-07.03.2024                            |
| 13       | 2024-25      | 5,25,00,000 /-    | स०-319(7), दिनांक-26.12.2024                            |
| 14       | 2024-25      | 34,75,00,000 /-   | स०-367(7), दिनांक-20.01.2025                            |
| कुल योग- |              | 4,36,09,41,000 /- |                                                         |

4- उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य योजनान्तर्गत सरकारी दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, रहई, नालन्दा के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत कुल प्राक्कलित राशि रु० 4,04,14,00,000 /- (रुपये चार अरब चार करोड़ चौदह लाख) मात्र की योजना में उपकरणों की आपूर्ति हेतु निगम के गोंग के अनुरूप राशि (4,04,14,00,000+25,22,62,000)= 4,29,36,62,000 /- (रुपये चार अरब उनतीस करोड़ छतीस लाख बासठ हजार) मात्र के प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध पुनः अन्य कार्य में अपेक्षित वृद्धि हेतु रु० 5,97,78,13,000 /- (रुपये पाँच अरब सन्तानवे करोड़ अठहत्तर लाख तेरह हजार) मात्र की लागत पर स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-XII (Second Part)" के तहत इस परियोजना हेतु राशि रु० 1,00,00,00,000 /- (रुपये एक अरब) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश स०-53(1), दिनांक-29.01.2014 में निहित शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

6- इस राशि के व्यय का वहन गोंग संख्या-20, मुख्य शीर्ष 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 03 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105 एलोपैथी-0111 डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल, विपत्र कोड 20 4210031050111 अन्तर्गत योजना आय व्ययक में 0111-53 01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई अन्तर्गत तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

7- इस राशि के निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव सह निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8- यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

✓

9-- वित्त विभागीय पत्र संख्या-632/वि०, दिनांक 04.07.2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या-10792/वि०, दिनांक-06.12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25" के लिए पूंजीगत परियोजनाओं से संबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोग की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव राह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी०एल० एकाउन्ट सं०-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID----- में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दिशा-निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

10-- वित्त विभागीय पत्रांक-432/वि०, दिनांक-29.03.2023 एवं पत्रांक-739/वि०, दिनांक-13.12.2024 के आलोक में सरामय उपयोगिता प्रमाण पत्र GI-R 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का बालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में सरामय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

11-- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12 - प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

13-- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या-7/बजट-46-11/2024(II) के पृष्ठ-29/टि० पर प्राप्त है।

14-- यह मात्र व्यथादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शैलेश कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक--

532 (7)

/स्वा०, पटना, दिनांक-20/03/2025

**प्रतिलिपि** - महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरवन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रगडलीय आयुक्त, पटना प्रगण्डल, पटना/जिलाधिकारी, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव राह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य, सरकारी दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**:- मा० मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशारण), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-7, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**:- प्रबन्ध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि** आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं उक्त संबंधित को ई-मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव